

हिन्दुस्तान

पूर्व मध्य रेल

हॉल्ट/फ्लैग स्टेशन के लिए ठेकेदार की नियुक्ति

एतद द्वारा रेल प्रशासन की ओर से समय-समय पर यथा निर्धारित कमीशन पर दानापुर मंडल के अंतर्गत जहानाबाद कोर्ट फ्लैग स्टेशन एवं कुसुंभा विहार हॉल्ट स्टेशनों के लिए पैंच (5) वर्ष की अवधि हेतु हॉल्ट ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु अलग-अलग आवेदन आमत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.10.2024 अपराह्न 14:00 बजे तक है।

हॉल्ट/फ्लैग का नाम:-

क्रमांक	हॉल्ट/फ्लैग स्टेशन का नाम	खंड	सुरक्षा राशि
1.	जहानाबाद कोर्ट फ्लैग स्टेशन	पटना-गया	29601/-
2.	कुसुंभा विहार हॉल्ट	किऊल-गया	2000/-

पात्रता मापदंड:- मौजूदा दिशानिर्देश एवं गतं अधिसूचना के अनुसार, पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं। आवेदक को आवेदन के साथ नीचे दिए गए सभी निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा साथ ही इनसे संबंधित दस्तावेजों की प्रति भी जमा करनी होगी।

- आवेदक को स्थानीय निवासी होना चाहिए जिस जिला में हॉल्ट स्टेशन अवस्थित है। आवेदक को स्थानीय होने का प्रमाण—पत्र उस जिला के डी.एम./एस.डी.एम./एडीएम./बीडीओ./सीओ द्वारा जारी किया हुआ या निर्वाचन पहचान पत्र/आधार होना चाहिए।
- आवेदक को न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण—पत्र संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- आवेदक का उम्र दिनांक: 10.10.2024 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उम्र के सत्यापन के समर्थन में बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण—पत्र अवश्य होना चाहिए।
- आवेदक को चिकित्सा प्रमाण—पत्र नीचे दिए गए परफोर्मा के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जिसमें चुस्त—दुरुस्त सेवा हेतु स्वस्थ होने एवं किसी प्रकार के छुआछूत की बीमारी से मुक्त होने का उल्लेख हो। (चिकित्सा प्रमाण—पत्र निर्वाचित पेशेवर चिकित्सक द्वारा जारी होना चाहिए)
- आवेदक का किसी प्रकार के अपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने के संबंध में चरित्र प्रमाण—पत्र थाना प्रभारी/बी.डी.ओ./सी.ओ./आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। आवेदन जमा करने की तिथि से 06 महीने के अन्दर का प्रमाण—पत्र होना चाहिए।
- आवेदक को अनुलग्नक 'A' में दिया गया शपथ पत्र जो की नोटरी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

अन्य शर्तें:-

- चयनित आवेदक को उपरोक्त स्टेशनों में दिए गए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी जो ठेका समाप्ति अथवा निरस्तिकरण के बाद बिना व्याज वापस किया जाएगा।
- हॉल्ट ठेकेदार को रेल प्रशासन के साथ एक एकरारनामा करना होगा तथा एकरारनामे के शर्तों एवं अनुबंधों के अनुसार हॉल्ट के कार्य का संचालन करना होगा।
- आवेदक एक ही स्टेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एक से अधिक आवेदक योग्य पाये जाने पर इसका निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

आवेदन पत्र मुहरबंद लिफाफे में होगा जिसके उपर में हॉल्ट/फ्लैग स्टेशन के हॉल्ट ठेकेदार के चयन हेतु आवेदन "लिखा होना चाहिए और इसे दरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर, पो-खागौल, जिला-पटना-801105 के कार्यालय में उक्त तिथि तक या इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। (केवल शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश)। उक्ततिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके पूर्व में उपरोक्त हाल्ट के लिए प्राप्त आवेदनों को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

रेल प्रशासन को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

आवेदन का स्वरूप

- आवेदक का नाम:
- पिता/पति का नाम:
- शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रामाणित प्रमाण—पत्र) संलग्न करें
- जन्म तिथि (अभिप्रामाणित प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
- निवास प्रमाणपत्र (अभिप्रामाणित प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
- चरित्र प्रमाणपत्र (अभिप्रामाणित प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
- स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (अभिप्रामाणित प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
- हाल्ट से निवास स्थान की दूरी (अभिप्रामाणित प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
- दूरभाष/मोबाइल संख्या—

आवेदन कर्ता का स्वअभिप्रामाणित पासपोर्ट साईज़ फोटो

उपरोक्त माने गये प्रमाण—पत्र के आलोक में स्व-अभिप्रामाणित (Self-attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अधूरे भरे हुए फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट:- इस अधिसूचना के आलोक में प्राप्त सभी अथवा किसी आवेदन/अधिसूचना को किसी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित है।

'शपथ पत्र का प्रारूप'

टिकट का स्थान

नोटरी का शपथ पत्र

अनुलग्नक-'A'

मे.....

पिता/श्री.....

पता.....

नीचे दिए गये सूचना मेरे जानकारी में सत्य/सही है।

(1) चरित्र प्रमाण—पत्र जारी कर्ता.....

पत्रांक संख्या..... दिनांक.....

(2) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर्ता.....

पत्रांक संख्या..... दिनांक.....

(3) निवास प्रमाण पत्र जारी कर्ता.....

पत्रांक संख्या..... दिनांक.....

(4) माध्यमिक (10th standard) प्रमाण पत्र जारी कर्ता.....

पत्रांक संख्या..... दिनांक.....

उपरोक्त प्रमाण पत्रों में वर्णित सूचनाओं में अगर गलत सूचना/त्रुटि पायी जाती है तो रेल प्रशासन को यह अधिकार है कि उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनका ठेका/नियुक्ति किसी स्तर पर रद्द कर दिया जायेगा एवं भविष्य में हॉल्ट ठेकेदार की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने से भी मना/वंचित कर दिया जा सकता है।

दिनांक: _____

स्थान: _____

पीआर/01081/डीएनआर/सीओएमएल/एन/24-25/224

सहायक वाणिज्य प्रबंधक

पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर